सम-सामयिक

घटना चक्र

परीक्षा संवाद के 29 वर्ष

www.ssgcp.com
t.me/ssgcp
ssgc.gs.qa
ssghatnachakra
SamsamyikGhatna

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़,
बिहार, झारखण्ड तथा राजस्थान की

सिविल जज, ए.पी.ओ., एच.जे.एस.

एवं अन्य विधि परीक्षाओं हेतु उपयोगी शृंखला

विधि चक्र 4

समग्र तैयारी शृंखला

ई-बुक पढ़ें अपडेटेड रहें

देखें पृष्ठ - 4

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(The Indian Evidence Act, 1872)

प्रारंभिक एवं **मुख्य परीक्षा** हेतु

❖ अध्ययन सामग्री ❖ प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न ❖ मुख्य परीक्षा प्रश्न

CASH BACK ₹50

Validity upto August, 2023

See Page - 4

© प्रकाशकाधीन :
संस्करण- प्रथम
संस्करण वर्ष- 2022
ले.- SSGC
मूल्य : 225/-
ISBN : 978-93-90927-21-0
मुद्रक - प्रिन्टेक्स इण्डिया
मुद्रण क्रम - प्रथम

संपर्क-

सम-सामयिक घटना चक्र
188A/128 एलनगंज, चर्चलेन
प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211002
Ph.: 0532-2465524, 2465525
Mob.: 9335140296
e-mail : ssgcald@yahoo.co.in
Website : ssgcp.com
e-shop Website : shop.ssgcp.com

■ इस प्रकाशन के किसी भी अंश का पुनः प्रस्तुतीकरण या किसी भी रूप में प्रतिलिपिकरण (फोटोप्रति या किसी भी माध्यम में ग्राफिक्स के रूप में संग्रहण, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिकीकरण द्वारा जहां कहीं या अस्थायी रूप से या किसी अन्य प्रकार के प्रसंगवश इस प्रकाशन का उपयोग भी) कॉपीराइट के स्वामित्व धारक के लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार से इसके भंग होने या अनुमति न लेने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

*इस प्रकाशन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद के न्यायालय न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

संकलन सहयोग-
- **एस.के. झा**
- **मंगला प्रसाद तिवारी**
- **प्रमोद कुमार शुक्ल**
- **धर्मेन्द्र कुमार मिश्र**
- **पीयूष तिवारी**
- **ज्ञान प्रकाश**
- **फैज़ुल इस्लाम अंसारी**
- **अमान असलम**

समारंभ

''**भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872**'' सभी न्यायिक परीक्षाओं हेतु एक अनिवार्य विषय है। ए.पी.ओ. परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह सभी राज्यों की परीक्षाओं का एक अनिवार्य भाग है।

न्यायिक सेवा के परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि विषय की सामान्य जानकारी के साथ-साथ वे निर्णीत वादों से भी बखूबी परिचित होंगे। प्रायः मुख्य परीक्षा के प्रश्न **निर्णीत वादों (Case Law)** की व्याख्या पर आधारित होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के भी कुछ प्रश्न निर्णीत वादों पर आधारित होते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक मुख्य रूप से न्यायिक सेवा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्यों के संकलन के साथ-साथ मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रमानुसार तथा परीक्षा-शैली के अनुरूप अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की गई है। मुख्य परीक्षा हेतु आदर्श उत्तर लिखकर भी बताए गए हैं, जिनसे परीक्षार्थी आगामी परीक्षाओं में लाभान्वित हो सकते हैं। न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं के पूर्व प्रश्न-पत्रों का संकलन भी प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत प्रस्तुत है।

विधि चक्र शृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत यह चतुर्थ कड़ी है। शृंखला के पंचम् अंक के साथ शीघ्र ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। प्रथम अंक में **'भारत का संविधान'**, द्वितीय अंक में **'भारतीय दण्ड संहिता'** एवं तृतीय अंक में **'दण्ड प्रक्रिया संहिता'** का विषयवार सामग्री प्रस्तुत है।

अनुक्रमणिका

अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	**प्रारंभिक (धारा 1-4)**	**5-29**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	5-12
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	13-19
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	20-29
2.	**तथ्यों की सुसंगतता (धारा 5-16)**	**30-59**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	30-39
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	40-48
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	49-59
3.	**स्वीकृतियां (धारा 17-31)**	**60-93**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	60-69
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	70-79
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	80-93
4.	**उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता .....इत्यादि (धारा 32-44)**	**94-115**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	94-100
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	101-106
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	107-115
5.	**अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है...इत्यादि (धारा 45-55)**	**116-130**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	116-121
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	122-126
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	127-130
6.	**तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है ..... इत्यादि (धारा 56-90क)**	**131-161**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	131-144
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	145-153
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	154-161
7.	**दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन (धारा 91-100)**	**162-176**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	162-166
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	167-170
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	171-176
8.	**सबूत के भार के विषय में (धारा 101-114क)**	**177-206**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	177-187
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	188-196
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	197-206
9.	**विबंध (धारा 115-117)**	**207-218**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	207-211
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	212-214
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	215-218
10.	**साक्षियों के विषय में (धारा 118-134)**	**219-243**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	219-227
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	228-236
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	237-243
11.	**साक्षियों की परीक्षा के विषय में .....इत्यादि (धारा 135-167)**	**244-280**
	भाग 1- अध्ययन सामग्री	244-258
	भाग 2- प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न	259-271
	भाग 3- मुख्य परीक्षा प्रश्न	272-280

प्रारंभिक
(Preliminary)

1

भाग 1 - अध्ययन सामग्री

सामान्य परिचय

यह विधिक मान्यता है कि जहां **अधिकार** है, वहां **उपचार** है अर्थात सामान्यतः नियमों के दो संवर्ग हैं, **पहला** जो **अधिकार** प्रदान करता है और **दूसरा** जो उसे **लागू** करता है। विधि की वह शाखा जो अधिकारों या दायित्वों का बोध कराती है उसे **मौलिक विधि** तथा विधि की वह शाखा जो उक्त अधिकारों एवं दायित्वों को प्राप्त कराने के लिए प्रक्रिया विहित करे, उसे **प्रक्रिया विधि** कहते हैं। भारतीय साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रिया के रूप में परिवर्तन साधारणतया **भूतलक्षी** होता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने के पूर्व भारत में साक्ष्य विधि संबंधी कोई विधि नहीं थी जिसको आधार मानकर न्यायालय में निर्णय दिया जा सके। इस संबंध में जो भी नियम प्रचलित थे वह अस्पष्ट, अनिश्चित एवं अव्यवस्थित थे, जिसमें एकरूपता का अभाव था। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए तथा विधि को परिभाषित एवं अधिनियमित करने के लिए प्रथम प्रयास **सन् 1835** में किया गया, परंतु यह पूर्णरूप से परिभाषित एवं अधिनियमित करने में सफल प्रयास नहीं रहा। इसके पश्चात **तृतीय विधि आयोग** के द्वारा साक्ष्य विधि को संहिताबद्ध किए जाने के उद्देश्य से **सन् 1868** में **सर हेनरी मेन** की **अध्यक्षता** में एक **प्रारूप (Draft)** तैयार किया गया, किंतु देश की तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप न होने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात **सन् 1871** में **सर जेम्स स्टीफेन** ने एक नया **प्रारूप (Draft)** तैयार किया, जिसे **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** के नाम से जाना जाता है।

❑ साक्ष्य विधि के आधारभूत सिद्धांत :

साक्ष्य विधि के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं–

1. साक्ष्य **विवाद्यक** एवं **सुसंगत तथ्यों** तक ही सीमित होना चाहिए,
2. अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए,
3. सभी मामलों में **सर्वोत्तम साक्ष्य** ही पेश किया जाना चाहिए।

1 लेक्स फोरी (न्यायालयाधिकृत विधि) :

लेक्स फोरी का तात्पर्य है उस स्थान की विधि जहां पर कार्यवाही संचालित हो अर्थात जिस देश में न्यायिक कार्यवाही संचालित हो उसके बारे में उस देश की साक्ष्य विधि लागू होगी। उदाहरणार्थ– यदि कोई विवाद दो पक्षकारों के बीच भारत में है एवं उस पर इंग्लैंड के न्यायालय में कोई कार्यवाही की जाती है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं अपितु इंग्लैंड के साक्ष्य अधिनियम का अनुसरण किया जाएगा।

1 उद्देशिका (Preamble) :

साक्ष्य विधि का **समेकन, परिभाषा** और **संशोधन** करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है–

किसी अधिनियम की उद्देशिका का उद्देश्य यह अभिव्यक्त करना होता है कि अधिनियम पारित करने का विधायिका का क्या उद्देश्य था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका दर्शित करती है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम **समेकित (Consolidatory)** है, परंतु यह **संपूर्ण (Exhaustive)** नहीं है। साक्ष्य विधि के कुछ नियम अन्य अधिनियमों में भी समाविष्ट हैं। उदाहरण स्वरूप–

1. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 59, 123
2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 291, 292
4. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 26
5. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18, 19 इत्यादि।

❑ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (धारा 1) :

1. यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जा सकेगा।
2. इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर में भी लागू है।
3. यह अधिनियम किसी भी न्यायालय में और सैन्य न्यायालय में भी चल रही सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू है।
4. यह अधिनियम किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए **शपथ पत्रों** पर **लागू 'नही'** है।

5. यह मध्यस्थ के समक्ष चल रही कार्यवाहियों पर भी लागू नहीं है।

6. निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन सैन्य न्यायालय के सम्मुख चल रही कार्यवाहियों पर भी यह अधिनियम लागू नहीं है-
   (i) आर्मी एक्ट,
   (ii) नेवल डिसिप्लिन एक्ट,
   (iii) इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) एक्ट,
   (iv) एयर फोर्स एक्ट।

न्यायिक कार्यवाही:

न्यायिक कार्यवाही शब्द को इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसका अर्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 2 (झ)** से लिया जा सकता है। न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। न्यायिक कार्यवाही में जांच एवं परीक्षण दोनों शामिल होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन हेतु निम्न को न्यायिक कार्यवाही माना गया है–

(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 97, 145 और 340 के अधीन जांच,
(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण-पोषण की कार्यवाहियां,
(iii) किसी डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियां,
(iv) चुनाव याचिका [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 90 (3)],
(v) औद्योगिक अभिकरण के समक्ष की कार्यवाहियां इत्यादि।

न्यायिकेत्तर कार्यवाहियां :

वे कार्यवाहियां जो न्यायिक कार्यवाही से भिन्न (इतर) हों, ऐसी कार्यवाहियां न्यायिकेत्तर कार्यवाही कहलाती है, उदाहरणस्वरूप–

(i) जांच आयोग अधिनियम, 1951 के अधीन किसी आयोग के समक्ष की कार्यवाहियां,
(ii) भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां,
(iii) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाहियां,
(iv) कलेक्टर केंद्रीय आबकारी के समक्ष की कार्यवाहियां,
(v) औद्योगिक अभिकरण के समक्ष कार्यवाहियां इत्यादि।

शपथ पत्र (Affidavits) :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ-पत्रों पर लागू नहीं होता है। इसकी परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है। इसकी परिभाषा **साधारण खंड अधिनियम** की **धारा 3** के **खंड (3)** में दी गई है कि शपथ-पत्र के अंतर्गत, ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, प्रतिज्ञान और घोषणा आएगी।

❑ निर्वचन खंड (धारा 3) :

न्यायालय (Court) :

''न्यायालय'' शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।

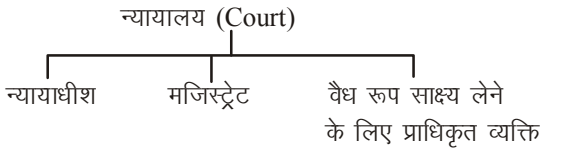

न्यायालय शब्द में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति शामिल हैं, परंतु मध्यस्थ न्यायालय पद के अधीन शामिल नहीं हैं।

प्रत्येक न्यायालय में कम-से-कम तीन संघटक अवश्य शामिल होते हैं– (1) वाद लाने वाला (वादी), (2) प्रतिवाद करने वाला (प्रतिवादी) और (3) न्यायालय। न्यायालय की यह परिभाषा केवल साक्ष्य अधिनियम पर ही लागू होती है, दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित न्यायालय शब्द पर नहीं। उदाहरणस्वरूप, निम्न को **न्यायालय** के रूप में माना गया है–

(1) पारिवारिक न्यायालय,
(2) लोकायुक्त,
(3) सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के आदेश 27 के नियम 17(1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 284 से 289 तक के अधीन नियुक्त कमिश्नर,
(4) जूरी जो न्यायाधीशों के साथ साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत होते हैं,
(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अभिकरण।

निम्नलिखित को न्यायालय नहीं माना गया है, जो इस प्रकार हैं–

(1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 160 के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला जिला मजिस्ट्रेट,
(2) आयकर अधिकारी,
(3) लोक-सेवक (जांच) अधिनियम 1850 के अधीन नियुक्त कमिश्नर,
(4) पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाला ए.एस.डी.ओ. न्यायालय नहीं है,
(5) तकनीकी अर्थों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण न्यायालय नहीं है, इत्यादि।

तथ्य (Fact) :

'तथ्य' से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है–

(1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो,

(2) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

दृष्टांत :

(क) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है।

(ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है।

(ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है।

(घ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है।

(ङ) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है।

सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री **बेन्थम** ने तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है–

(1) शारीरिक दशा एवं

(2) मानसिक दशा

बेन्थम के उक्त वर्गीकरण को ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपनाया गया है, जो निम्न हैं–

(1) शारीरिक दशा :

ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो हमारी **ज्ञानेन्द्रियों** द्वारा **बोधगम्य** हो।

(2) मानसिक दशा :

ये चेतना के अधीन होते हैं और व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, व्यवहार द्वारा ही इनके विषय में धारणा बन सकती है।

उदाहरण — 'क' पर 'ख' लाठी से वार करता है, लाठी से मारने का काम **शारीरिक** या **बाह्य तथ्य** है, जो उस व्यक्ति के जिसने 'ख' को 'क' पर लाठी से मारते देखा है, साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, परंतु 'ख' का 'क' पर लाठी से मारने का आशय **मानसिक दशा** है जिसे स्वयं की संस्वीकृति से या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकता है।

1 'सुसंगत' (Relevant) :

एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।

सुसंगत शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है परंतु सामान्यतः सुसंगति से तात्पर्य है दो तथ्यों के मध्य संबंध और वह संबंध ऐसा हो कि एक का अस्तित्व (विद्यमान होना) अथवा अनस्तित्व (अविद्यमानता) दूसरे पर आश्रित हो, सुसंगत कहलाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में केवल यह बताया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से कब सुसंगत होगा। सभी तथ्य सुसंगत होते हैं, जो विवाद्यक तथ्य के बारे में कोई युक्तियुक्त उपधारणा प्रदान करने में समर्थ होते हैं।

सुसंगति के दो अर्थ हैं– (1) संसक्त के रूप में या संबंधित, और (2) ग्राह्य के रूप में या ग्राह्यता। इस प्रकार एक में सुसंगति तार्किक है दूसरे में सुसंगति विधिक/सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो स्वतः विवाद्यक तथ्य नहीं होते, किंतु वे विवादित तथ्य से इस प्रकार संबद्ध होते हैं कि उससे विवाद्यक तथ्य अधिसंभाव्य हो जाते हैं।

1 सुसंगति और ग्राह्यता (Relevancy and Admissibility) :

किसी तथ्य को सुसंगत तब कहा जाता है जब वह विवाद्यक तथ्य से धारा 6 से 55 तक के नियमों के अनुसार किसी रूप में संबंधित हो, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सुसंगत तथ्य आवश्यक रूप से ग्राह्य हों। उदाहरण के लिए, **धारा 122** के अंतर्गत **पति-पत्नी के बीच वार्ता** एवं **धारा 126** के अंतर्गत कक्षीकार द्वारा अपने वकील को दी गई जानकारी विवाद्यक तथ्य से **सुसंगत होते** हुए भी **अग्राह्य** है। ग्राह्यता से तात्पर्य साक्ष्य के रूप में 'स्वीकार्य' से है, जो विधि का प्रश्न है तथा जिसे न्यायालय निर्धारित करता है। न्यायालय ऐसे तथ्यों को ग्रहण करने से इनकार कर सकता है, भले ही वे युक्तियुक्तता के आधार पर सुसंगत हों। **धारा 136** में प्रयुक्त **'सुसंगत'** और **'ग्राह्य'** शब्द पृथकतया प्रयुक्त हैं। **'सुसंगति'** और **'ग्राह्यता'** पद न तो **पर्यायवाची** हैं न **सह-विस्तारी** और न एक-दूसरे में **सम्मिलित** ही हैं।

1 विवाद्यक तथ्य (Facts in issue) :

'विवाद्यक तथ्य' से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं–

ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है।

स्पष्टीकरण :

जब कभी कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है, वह विवाद्यक तथ्य है।

दृष्टांत :

'ख' की हत्या का 'क' अभियुक्त है।

उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं–

यह कि 'क' ने 'ख' की मृत्यु कारित की,

यह कि 'क' का आशय 'ख' की मृत्यु कारित करने का था,

यह कि 'क' को 'ख' से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था,

यह कि 'ख' की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय 'क' चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** में विवाद्यक तथ्य की परिभाषा दी गई है। ऐसा तथ्य जो न्यायालय के समक्ष विवाद के रूप में हो, विवाद्यक तथ्य कहलाता है, अर्थात वे तथ्य जिन्हें किसी कार्यवाही में एक पक्षकार अभिकथित करता है और दूसरा पक्षकार उससे इनकार करता है, विवाद्यक तथ्य कहलाता है। उसके विनिश्चय पर ही निर्णय निर्भर करता है।

विवाद्यक तथ्य वे तथ्य हैं जिनसे वाद में कोई विधिक अधिकार, दायित्व या अयोग्यता आवश्यक रूप से उत्पन्न होती है और उन पर तद्नुसार निर्णय देना अनिवार्य होता है।

सुसंगत तथ्य एवं विवाद्यक तथ्य में अंतर

सुसंगत तथ्य	विवाद्यक तथ्य
1. सुसंगत तथ्य स्वयं विवाद का विषय नहीं होते अपितु ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर विवाद्यक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान इंगित किया जा सकता है।	1. विवाद्यक तथ्य ऐसा तथ्य होता है, जिस पर विवाद होता है और जिनके आधार पर ही वाद का निर्धारण होता है।
2. सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का मूल तत्व नहीं होता है।	2. विवाद्यक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का मूल तत्व होता है।
3. सुसंगत तथ्य विवाद्यक तथ्य को साबित करने के साधन कहलाते हैं।	3. विवाद्यक तथ्य मुख्य तत्व कहलाते हैं और वे किसी विधिक कार्यवाही के आधार स्तंभ होते हैं, जो न्यायालय द्वारा अभिवचन के आधार पर विरचित किए जाते हैं।
4. सुसंगत तथ्य परिस्थितियों के अनुकूल साक्ष्य हैं।	4. विवाद्यक तथ्य प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं जिस पर अधिकार एवं दायित्व निर्भर है।

1 दस्तावेज (Document) :

'दस्तावेज' से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

दृष्टांत :

लेख दस्तावेज है,

मुद्रित, **शिला मुद्रित** या **फोटो चित्रित** शब्द दस्तावेज हैं,

मानचित्र या **रेखांक दस्तावेज** हैं,

धातुपट्ट या **शिला** पर **उत्कीर्ण लेख** दस्तावेज है,

उपहासांकन दस्तावेज है;

सामान्यतया किसी भाषा में **कागज** के पन्ने पर **लिखी गई बात** दस्तावेज कहलाती है। परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी बात चाहे वह कागज पर या पत्थर, शिला, लकड़ी या किसी अन्य चीज पर बशर्ते वे शब्दों, चित्रों या अन्य प्रतीकों के द्वारा अंकित हो, दस्तावेज कहा जाएगा।

उदाहरण के लिए, **ग्वाले** द्वारा **पत्थर** पर प्रतिदिन का **निशान** जो **दूध** की **मात्रा** को अंकित करता है, दस्तावेज कहलाता है।

✓**जियाउद्दीन बनाम बृजमोहन ए.आई.आर. 1975** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टेप रिकॉर्ड की गई बातें भी दस्तावेज हैं।✓

1 साक्ष्य (Evidence) :

'साक्ष्य' शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं–

(1) वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन **मौखिक साक्ष्य** कहलाते हैं,

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, [जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं] ऐसे दस्तावेज **दस्तावेजी साक्ष्य** कहलाते हैं। [इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के द्वारा जोड़ा गया है।]

Evidence शब्द लैटिन शब्द 'Evidere' से निकला है, जिसका तात्पर्य है– ''स्पष्ट रूप से पता लगाना या सुनिश्चित करना या साबित करना।''

साक्ष्य के विषय में कुछ विद्वानों के कथन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए–

सामण्ड :

कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है।

बेन्थम :

ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, 'साक्ष्य' कहलाता है। साक्षी न्याय के **आंख** और **कान** हैं।

टेलर :

साक्ष्य के अंतर्गत बहस को छोड़कर वे सब विधिक साधन आते हैं, जो निर्णायक तथ्य की सत्यता को साबित या नासाबित करते हैं।

1 साक्ष्य के प्रकार (Kinds of evidence) :

साक्ष्य प्रमुखत: निम्नलिखित प्रकार के होते हैं–

(1) प्रत्यक्ष साक्ष्य (Direct Evidence)

(2) परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence)

(3) वास्तविक साक्ष्य (Real Evidence)

(4) अनुश्रुत साक्ष्य (Hearsay Evidence)

(5) प्राथमिक या मुख्य साक्ष्य (Primary Evidence)

(6) द्वितीयक या गौण साक्ष्य (Secondary Evidence)

(7) मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)

(8) दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence)

(1) प्रत्यक्ष साक्ष्य :

घटना के देखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं दिया गया साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। जैसे- अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति।

(2) परिस्थितिजन्य साक्ष्य :

परिस्थितियां घटना के इर्द-गिर्द घूमने वाले तथ्य या सबूत होती हैं, जो किसी घटना के घटने का बोध कराती हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दण्डित किया जा सकता है यदि साक्ष्य का स्वरूप इस प्रकार हो कि–

(i) अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुमान के सर्वथा विपरीत हो। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियां इस प्रकार की हों कि उनसे अभियुक्त के निर्दोष होने का कोई अनुमान न लगाया जा सकता हो तथा

(ii) वह अभियुक्त के दोषी होने का स्पष्ट संकेत करे। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों को एक साथ लेने पर केवल अभियुक्त के दोषी होने का संकेत मिलता हो।

(3) वास्तविक या भौतिक साक्ष्य :

भौतिक पदार्थों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जो जांचाधीन संव्यवहार से संबंधित हो, जैसे- हत्या में प्रयुक्त कैंची, चाकू आदि।

(4) अनुश्रुत साक्ष्य :

इसके अंतर्गत साक्षी अपनी देखी हुई या स्वयं सुनी हुई नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के माध्यम से सुनी हुई बातों के आधार पर साक्ष्य देता है। अनुश्रुत साक्ष्य सामान्यतया कोई साक्ष्य नहीं है।

(5) प्राथमिक साक्ष्य :

प्राथमिक साक्ष्य से स्वयं मूल दस्तावेज अभिप्रेत है, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दस्तावेज का अस्तित्व या उसकी अंतर्वस्तु सदैव प्राथमिक या सर्वोत्तम साक्ष्य माने जाते हैं।

(6) द्वितीयक साक्ष्य :

प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में जिसे पेश करने की विधि अपेक्षा करे, जो मूल दस्तावेज की नकल या प्रतिलिपि है, उसे द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं।

(7) मौखिक साक्ष्य :

मौखिक साक्ष्य से तात्पर्य है ऐसा साक्ष्य जिसे साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मुख से कह कर व्यक्त करे। प्रत्येक मौखिक साक्ष्य के प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा की जाती है।

(8) दस्तावेजी साक्ष्य :

जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है।

मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे अन्तर :

(1) मौखिक साक्ष्य स्वयं 'साक्षी' द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर बोले गए शब्दों द्वारा दिया जाता है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में दस्तावेज पेश करके दिया जाता है।

(2) मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य प्राथमिक होना चाहिए।

साक्ष्य एवं सबूत में अंतर (Distinction Between Evidence and Proof) :

साक्ष्य और सबूत समानार्थी नहीं हैं अपितु दोनों अलग-अलग हैं। साक्ष्य किसी तथ्य को साबित करने का साधन है, जबकि सबूत या प्रमाण उसका प्रभाव है। साक्ष्य सबूत की नींव या आधार है, जिस प्रकार बिना नींव के कोई मकान नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना साक्ष्य के कोई सबूत (प्रमाण) नहीं हो सकता। सबूत साक्ष्य का परिणाम या फल है, जो कि अभिकथित तथ्य के पुष्टीकरण या खंडनार्थ पेश किया जाता है।

1 साबित (Proved) :

कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी **प्रज्ञावान** व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** के अनुसार कोई भी तथ्य तब साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष उपलब्ध विषय पर विचार करने के पश्चात उस तथ्य (जिस पर न्यायालय को निर्णय देना है) के अस्तित्व का पूरा विश्वास कर ले या फिर उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिक सम्भाव्य मान ले जितना कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति उस खास मामले की परिस्थितियों में मान लेता।

यहां पर प्रज्ञावान व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो व्यावहारिक बातों में **विवेकपूर्ण** अथवा **समझदार** हो। दूसरे शब्दों में, साधारण बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति हो।

उल्लेखनीय है कि 'साबित' शब्द की परिभाषा में 'विषय' शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि 'साक्ष्य' शब्द का। अतः अदालत अपना निर्णय देने के लिए साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य तथ्यों जैसे अभियुक्त की संस्वीकृति जो धारा 3 में दिए गए साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, परंतु उस पर विचार कर सकता है।

- **नासाबित (Disproved) :**

कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी तथ्य 'नासाबित' हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत विषय के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभिकथित तथ्य का अस्तित्व नहीं है या अभिकथित तथ्य के अस्तित्व के न होने की इतनी अधिक सम्भावना है कि उन परिस्थितियों में किसी भी प्रज्ञावान को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि कथित तथ्य विद्यमान नहीं है।

- **साबित नहीं हुआ (Not Proved) :**

कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, जब कोई तथ्य न 'साबित' हुआ हो और न ही 'नासाबित' हुआ हो तो ऐसे तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। 'साबित नहीं हुआ' साबित और नासाबित के बीच की मानसिक स्थिति है। यह किसी तथ्य को साबित अथवा नासाबित दोनों से इनकार करती है।

- **भारत (India) :**

'भारत' से अभिप्राय है सम्पूर्ण भारत। (जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित)

❑ उपधारणा (धारा 4) :

- **उपधारणा कर सकेगा (May Presume) :**

जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

उदाहरण- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क

- **उपधारणा करेगा (Shall Presume) :**

जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक यह नासाबित नहीं किया जाता है।

उदाहरण- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113- ख

- **निश्चायक सबूत (Conclusive Proof) :**

जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

उदाहरण- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा की परिभाषा नहीं दी गई है। 'उपधारणा' का शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना जांच या सबूत के सत्य मान लेना, विधि की दृष्टि में उपधारणा एक अनुमान होता है, जिसे न्यायालय किसी एक तथ्य के साबित होने पर किसी दूसरे तथ्य के बारे में अनुमान करता है। उपधारणाओं का आधार मनुष्य का अनुभव, प्रकृति का नियम तथा सामाजिक रीति-रिवाज होता है। जिस तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है उनमें ऐसा संबंध होता है कि एक के होने पर दूसरे को मान लिया जाता है।

जब न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार कर ले तो उसे उपधारणा कहते हैं, जिस पक्षकार के पक्ष में न्यायालय द्वारा उपधारणा की जाती है वह उस तथ्य को साबित करने के भार से बच जाता है।

उपधारणा का वर्गीकरण :—

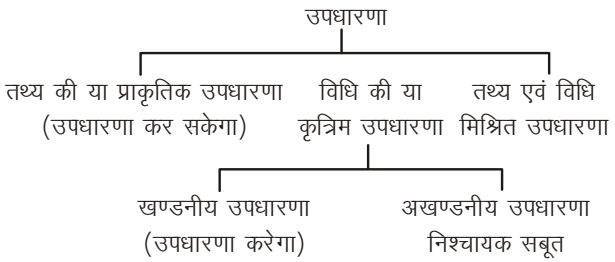

(1) तथ्य की उपधारणा,

(2) विधि की उपधारणा,

(3) तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा।

पुनः विधि की उपधारणा 2 प्रकार की होती है–

(i) विधि की खंडनीय उपधारणा एवं

(ii) विधि की अखंडनीय उपधारणा

- **तथ्य की उपधारणा :**

साक्ष्य अधिनियम की **धारा 4** के **पैरा 1** में 'उपधारणा कर सकेगा' के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय कुछ परिस्थितियों में किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, अर्थात यहां पर न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है। यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, उस तथ्य को साबित माने अथवा

नासाबित। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी के तुरंत पश्चात, चुराए गए माल के साथ पाया जाता है, तो जब तक वह अपने कब्जे में होने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताता, न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि उस व्यक्ति ने माल स्वयं चुराया है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। (धारा 114 का दृष्टांत क) इस उपधारणा का वर्णन साक्ष्य अधिनियम की धारा 86, 87, 88, 90 तथा 114 में किया गया है।

l विधि की उपधारणा :

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पैरा दो एवं तीन में विधि की उपधारणा के संबंध में उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार, विधि की उपधारणा कानूनी एवं इच्छाधीन अनुमान होते हैं, जिन्हें कानून किसी खास तथ्यों से निकालने के लिए न्यायाधीश को निर्दिष्ट करता है।

विधि की उपधारणा में न्यायालय को विवेकाधिकार नहीं प्राप्त होता है, इसमें न्यायालय तथ्य को साबित के तौर पर उपधारित करने के लिए बाध्य है जब तक कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाता है।

विधि की उपधारणाएं दो प्रकार की होती हैं– (1) खंडनीय एवं (2) अखंडनीय उपधारणा

l खंडनीय उपधारणा :

खंडनीय उपधारणा 'उपधारणा करेगा' के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन साक्ष्य विधि की धारा 79, 80, 81, 83, 85, 89, 104, 105, 107, 108 एवं 112 में किया गया है। खंडनीय उपधारणा यह संकेत करतीं है कि किस पर प्रमाण भार होता है। उपधारणा स्वतः साक्ष्य नहीं है परंतु उस पक्षकार के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला बनाती है, जिसके पक्ष में की जाती है।

l अखंडनीय उपधारणा (निश्चायक सबूत) :

अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पैरा 3 में दी गई है, जिसके अंतर्गत यह विधि की एक ऐसी उपधारणा है जिसे न्यायालय अंतिम मानता है एवं ऐसी उपधारणा को साक्ष्य देकर भी खंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे अखंडनीय उपधारणा कहा जाता है। उदाहरण के लिए (धारा 41, 112, 113, 115, 116, 117 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82)।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्में बच्चे के धर्मजत्वा से संबंधित है, जो निश्चायक सबूत है। परंतु धारा 112 का एक अपवाद भी है। यदि गर्भधारण करने के दौरान पति एवं पत्नी के बीच मुलाकात या पहुंच संभव नहीं हुई है, तो ऐसी उपधारणा निश्चायक नहीं होगी।

l मिश्रित उपधारणा :

यह उपधारणा भारतीय साक्ष्य विधि में वर्णित नहीं की गई है। यह अंग्रेजी विधि तक ही सीमित है, इसमें तथ्य एवं विधि दोनों का मिश्रित रूप है, जिसके कारण इसे मिश्रित उपधारणा कहा जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक **प्रक्रियात्मक विधि** है।
- साक्ष्य विधि **देशीय विधि (Lex Fori)** है। साक्ष्य के सभी प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार ही विनिश्चित किए जाएंगे जहां किसी कार्यवाही का विचारण किया जाता है।
- साक्ष्य विधि **भूतलक्षी** प्रभाव रखती है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का प्रारूप **सर जेम्स स्टीफेन** द्वारा तैयार किया गया था।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम दीवानी एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में लागू होता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है।
- साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य विधि का **समेकन**, **परिभाषा** तथा **संशोधन** करना है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कुल 167 धाराएं हैं, जो 11 **अध्याय** एवं **3 भाग** में विभक्त हैं।
- ✓अवमानना कार्यवाहियों में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है **[सुखदेव सिंह बनाम तेज सिंह, 1954 एस.सी.]।**✓
- यह अधिनियम मध्यस्थ तथा शपथ-पत्र की कार्यवाहियों पर भी लागू नहीं होता है।
- अधिकारियों के समक्ष जांचों तथा कार्यवाहियों में भी साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता।
- कोर्ट मार्शल पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है।
- दीवानी कार्यवाहियों में **विबंध का सिद्धांत** लागू होता है, जबकि आपराधिक कार्यवाहियों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित हैं।
- तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मानसिक तथ्य भी सम्मिलित हैं।
- मौखिक साक्ष्य तब स्वीकृत होता है जब वह न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

- उपहासांकन (व्यंग्य चित्र), मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र तथा शिला पर उत्कीर्ण लेख ये सभी दस्तावेज हैं।
- किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा हुआ लेखन, एक फोटोग्राफ, किसी मोबाइल या कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट दस्तावेज है।
- ✓**महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल, 2003 एस.सी.** के वाद में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करना सही है, क्योंकि इससे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 273 के उपबंध की संतुष्टि भी हो जाती है, जो यह अपेक्षा करती है कि अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित किया जाए।✓
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन टेलीफोन वार्ता दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आती है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
- ✓परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है। **[हरदयाल बनाम उ.प्र. राज्य, 1976 एस.सी.]।**✓
- ✓''सी.सी.टी.वी. कैमरा'' की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है। **[टोमासों ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 एस.सी.]**✓
- प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग विचारण के दौरान केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु एवं उसके खंडन हेतु किया जा सकता है।
- दीवानी मामले में साक्ष्य के नियमों को पक्षकारों की सम्मति से कुछ अंश तक शिथिल किया जा सकता है, किंतु आपराधिक मामलों में पक्षकारों की सम्मति या न्यायालय की अनुमति से भी साक्ष्य के नियमों को शिथिल नहीं किया जा सकता है।
- **खोजी कुत्ते** से प्राप्त तथ्य **वैज्ञानिक साक्ष्य** की श्रेणी में आता है। यह ग्राह्य तो होता है, किंतु इसका वजन कम होता है।
- अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य, यदि साक्ष्य शब्द की परिभाषा में आ जाए, तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है।
- शपथ-पत्र साक्ष्य नहीं होता है। जब तक न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को शपथ-पत्र के द्वारा साबित किए जाने का आदेश न दे, तब तक इसे साक्ष्य के रूप में नहीं लाया जा सकता है।
- वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट साक्ष्य नहीं है जब तक उस पर हस्ताक्षर करने वाले का परीक्षण न कर लिया गया हो।
- टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत ग्राह्य होती है, किंतु यह तब जब वह बातचीत विवाद्य बातों से सुसंगत हो। उसकी आवाज की पहचान की जा सकती है।
- ऐसे सुसंगत तथ्य जिन्हें न्यायालय साक्ष्य में स्वीकार कर लेता है ग्राह्य कहलाते हैं।
- साक्षी के भावभंगिमा के आधार पर एक साक्षी के साक्ष्य पर अविश्वास तथा दूसरे के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भावभंगिमा को केवल अतिरिक्त बात के रूप में ही विचार किया जा सकता है।
- ✓**कौशल किशोर सिंह बनाम उ.प्र. राज्य, 2006 क्रि.लॉ.ज. 1121 एस.सी.** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को पूर्णरूप से केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन ने उसे बागी घोषित कर दिया है एवं उसकी प्रतिपरीक्षा भी की है, उसके साक्ष्य को उस सीमा तक स्वीकार किया जाएगा जहां तक वह भरोसेमंद प्रतीत हो।✓
- जब चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य में भिन्नता हो, तो **प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों** के निर्दोष साक्ष्य को चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए अनुमानिक उत्तरों से वरीयता देते हुए ग्राह्य किया जाना चाहिए।
- प्रयोगशाला के रिपोर्ट का मूल्य संपुष्टिकारक होता है।
- विवाद्यक तथ्य का अर्थ है, वह तथ्य जिसके अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में पक्षकार एक मत नहीं हैं।
- 'अ' पर 'ब' की हत्या का आरोप है। इसके विचारण में यह तथ्य कि 'अ' ने 'ब' की हत्या की, 'अ' को 'ब' से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, विवाद्यक तथ्य है।
- किसी मामले में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित एवं प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को विवाद्यक तथ्य कहा जाता है।
- एक तथ्य जिसे न तो साबित किया गया है और न नासाबित, उसे ''साबित नहीं हुआ'' कहा जाता है।
- धारा 4 में उपधारणा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

भाग 2 - प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रस्तावना

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कब प्रवृत्त हुआ?

(a) 1 मार्च, 1872 (b) 1 अप्रैल, 1872
(c) 1 सितंबर, 1872 (d) 1 अक्टूबर, 1872

Jharkhand A.P.P. 2018, U.P. (CJ) 2015, Uttarakhand (CJ) 2014, Chhattisgarh (CJ) 2013 Uttarakhand A.P.O. 2010, M.P.A.P.O. 1997

उत्तर—(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन 1 सितंबर, 1872 को हुआ था। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है (धारा 1)।

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अधिनियमित हुआ था—

(a) 6 अक्टूबर, 1860 में (b) 1 मार्च, 1874 में
(c) 15 मार्च, 1872 में (d) 1 सितंबर, 1872 में

Uttarakhand A.P.O. 2016

उत्तर—(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को गवर्नर जनरल की सहमति 15 मार्च, 1872 को मिली अर्थात इसी तिथि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अधिनियमित हुआ।

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है—

(a) न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ-पत्रों पर
(b) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर
(c) (a) और (b) दोनों
(d) न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर

Bihar (CJ) 2009

उत्तर—(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के ''संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ'' खंड के अनुसार यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा तथा यह सभी न्यायालयों के समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगा और जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल होंगे, परंतु जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं– (1) वे सेना न्यायालय जो सेना अधिनियम, 1950, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, 1934 तथा वायुसेना अधिनियम, 1950 के अंतर्गत संगठित हैं। (2) किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र पर और (3) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निरसित की गई?

(a) निरसित अधिनियम, 1948
(b) निरसित अधिनियम, 1945
(c) निरसित अधिनियम, 1883
(d) निरसित अधिनियम, 1938

U.P.A.P.O. 2018

उत्तर—(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 2 निरसित अधिनियम, 1938 द्वारा निरसित की गई।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?

(a) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है।
(b) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है।
(c) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है।
(d) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, एक तथ्य है।

Bihar (CJ) 2009

उत्तर—(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 (निर्वचन खंड) में 'तथ्य' शब्द की परिभाषा दी गई है। जिसके अनुसार, ''तथ्य'' से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती हैं– (1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, (2) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। इस धारा के दृष्टांत (ङ) के अनुसार, यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है यह भी एक तथ्य है। अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

6. Indian Evidence Act applies to both civil and criminal proceeding before a court. In the statement:

(a) Not correct (b) Correct
(c) Partly correct (d) None of the above

Bihar H.J.S. 2015

उत्तर—(b)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 दीवानी एवं दाण्डिक दोनों तरह के न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में लागू होता है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

7. साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मेन ने तैयार किया था।
(b) अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था।
(c) अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (CJ) 2005, 2013, 2015

उत्तर—(b)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था।

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है–

(a) मौलिक विधि
(b) प्रक्रिया विधि
(c) मौलिक एवं प्रक्रिया विधि
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

U.P. (CJ) 2015, Bihar (CJ) 2009, M.P. (CJ) 1989

उत्तर–(b)

साक्ष्य अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है। ध्यातव्य है कि अधिकारों के उपचार हेतु अपनाई जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण करने वाली विधि को **'प्रक्रियात्मक विधि'** कहा जाता है।

9. निम्न में से कौन-सी 'विधि' को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का आधार माना जाता है?

(a) उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था।
(b) उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई थी।
(c) उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढ़ा था।
(d) उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्यवाहियां की जानी है (लेक्स फोरी)।

Raj A.P.O. 2011

उत्तर–(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का आधार फोरम की विधि (लेक्स फोरी–Lex Fori) को माना जाता है, जिसके संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बेन बनाम हेवन एण्ड फर्नेस जंक्शन रेलवे, 1850 (3 एच.एल.सी. 1, पेज 15) के मामले में निम्न स्पष्टीकरण दिया है– साक्ष्य विधि स्थानीय न्यायालय की विधि होती है और उन्हें अधिशासित करती है ..... यह सब उस देश की विधि के अनुसार तय होता है जिसमें यह प्रश्न उठता है कि किस स्थान पर उपाय का पालन होना है और निष्पादन न्यायालय का स्थान है।

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का उद्देश्य, उद्देशिका के अनुसार है–

(a) साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना
(b) साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना
(c) साक्ष्य की विधि का प्रकटन, परिभाषा और समेकन
(d) साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषा और संशोधन करना

Uttarakhand (CJ) 2014, U.P. A.P.O. 2005, 2007

उत्तर–(b)

प्रत्येक अधिनियम की एक उद्देशिका होती है। इसमें उस उद्देश्य का उल्लेख किया जाता है, जिसके लिए यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है। साक्ष्य विधि की उद्देशिका के अनुसार, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना इस विधि के उद्देश्य हैं।

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं?

(a) 164 धाराएं एवं 10 अध्याय
(b) 167 धाराएं एवं 10 अध्याय
(c) 167 धाराएं एवं 11 अध्याय
(d) 167 धाराएं एवं 9 अध्याय

Chhattisgarh (CJ) 2014, Uttarakhand A.P.O. 2010

उत्तर–(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कुल **11 अध्याय** और **167 धाराएं** हैं। अंतिम अध्याय में केवल एक धारा 167 समाविष्ट है।

12. The Indian Evidence Act applies to :

(a) proceedings before tribunals
(b) affidavits presented to any court or officer
(c) proceedings before an arbitrator
(d) None of above

U.P. H.J.S. 2009

उत्तर–(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 1 के अनुसार, यह अधिनियम किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए शपथ-पत्रों और किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। अतः (b) और (c) के संदर्भ में कथन लागू नहीं होता है। यह अधिनियम समस्त न्यायिक कार्यवाहियों पर ही लागू होता है। भारत संघ बनाम टी.आर. वर्मा, 1957 ए.आई.आर., सु.को. 882 के निर्णयानुसार अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियां न्यायिक नहीं होती हैं। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित 'न्यायालय' के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

(a) सभी मजिस्ट्रेट
(b) सभी न्यायाधीश
(c) वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं।
(d) विवाचक (मध्यस्थ)

Jharkhand A.P.P. 2018, M.P. (CJ) 2017, Chhattisgarh (CJ) 2014, U.P. (CJ) 2013 Uttarakhand A.P.O. 2016

उत्तर–(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 निर्वचन खंड के अनुसार, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। अतः मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नहीं है।

14. अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?

(a) 'तथ्य' में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य सम्मिलित हैं।
(b) 'न्यायालय' में मध्यस्थ सम्मिलित हैं।

(c) शिला पर उत्कीर्ण लेख 'दस्तावेज' है।
(d) कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न ही नासाबित

M.P. H.J.S. 2011, M.P. A.P.O. 2009, Uttarakhand (CJ) 2008

उत्तर—(b)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 'न्यायालय' शब्द के अंतर्गत मध्यस्थ सम्मिलित नहीं माने जाते हैं जबकि शेष परिभाषात्मक विकल्प सत्य हैं।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है?

(a) न्यायालय (b) दस्तावेज
(c) साक्ष्य (d) संस्वीकृति

Uttarakhand (CJ) 2011, U.P. A.P.O. 2018

उत्तर—(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय, दस्तावेज, साक्ष्य तीनों को परिभाषित किया गया है किंतु संस्वीकृति को नहीं। संस्वीकृति के संबंध में उपबंध धारा 24 से 30 के अंतर्गत किया गया है।

16. निम्नांकित में से कौन-सा 'तथ्य' है?

(a) सोहन ने एक गाय देखी
(b) मोहन ने सोहन से जाने को कहा
(c) शीतल की बड़ी इज्जत है
(d) ये सभी

M.P. A.P.O. 2008

उत्तर—(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में 'तथ्य' को परिभाषित किया गया है। धारा 3 के अनुसार, (a) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तथ्य है। (b) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को है, तथ्य है। अतः उपर्युक्त सभी कथन तथ्य हैं।

17. ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो—

(a) एक साक्ष्य है (b) तथ्य है
(c) विवाद्यक तथ्य है (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Raj A.P.O. 2015, U.P. (CJ) 2015, Uttarakhand A.P.O. 2010

उत्तर—(b)

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

18. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य—

(a) विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए।
(b) तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए।
(c) विधिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

U.P. (CJ) 2016

उत्तर—(a)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के पैरा (4) में सुसंगत की परिभाषा दी गई है। धारा के अनुसार, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तथ्य तब कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो अर्थात विधिक रूप से सुसंगत है।

19. सूची-I तथा सूची-II का सुमेलित करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए—

सूची-I		**सूची-II**
A. दस्तावेज	1.	धारा 3
B. प्राथमिक साक्ष्य	2.	धारा 62
C. द्वितीयक साक्ष्य	3.	धारा 63
D. मौखिक साक्ष्य	4.	धारा 60

कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	1	2	3	4
(c)	3	2	1	4
(d)	2	1	4	3

U.P. A.P.O. 2015

उत्तर—(b)

सूची-I तथा सूची-II निम्नवत सुमेलित हैं—

दस्तावेज	–	धारा 3
प्राथमिक साक्ष्य	–	धारा 62
द्वितीयक साक्ष्य	–	धारा 63
मौखिक साक्ष्य	–	धारा 60

20. 'क' पर 'ख' की हत्या का आरोप है। उसके विचारण में निम्नांकित में कौन विवाद्यक तथ्य हो सकते हैं?

1. 'क' ने 'ख' की हत्या की।
2. 'क' एक ईमानदार व्यक्ति है।
3. 'क' को 'ख' से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला।
4. 'क' को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था।

सही उत्तर चुनिए –

(a) 1 तथा 2 (b) 1 तथा 3
(c) 1, 2 तथा 3 (d) 1, 2, 3 तथा 4

U.P. A.P.O. 2015

उत्तर—(b)

तथ्य 'क' ने 'ख' की हत्या की तथा 'क' को 'ख' से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** के **पैरा (4)** के अंतर्गत विवाद्यक तथ्य में सम्मिलित हैं, जबकि 'क' एक ईमानदार व्यक्ति है और 'क' को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था, विवाद्यक तथ्य नहीं है।

21. वे तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे के द्वारा इंकार या मना किया जाता है, कहलाते हैं–

(a) सकारात्मक तथ्य (b) नकारात्मक तथ्य
(c) सुसंगत तथ्य (d) विवाद्यक तथ्य

Chhattisgarh (CJ) 2017, Uttarakhand (CJ) 2016 U.P. A.P.O. 2015

उत्तर–(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 4 में ''विवाद्यक तथ्य'' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से, या अन्य तथ्यों के संसर्ग में ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में **प्राख्यान (अभिकथित)** या **प्रत्याख्यान (अस्वीकृत)** किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, विवाद्यक तथ्य कहा जाता है। इस प्रकार किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को 'विवाद्यक तथ्य' कहा जाता है।

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है?

(a) 17 अक्टूबर, 2000 (b) 10 अक्टूबर, 2000
(c) 2 अक्टूबर, 2000 (d) 14 नवंबर, 2000

U.P. A.P.O. 2007, 2015, Raj A.P.O. 2018

उत्तर–(a)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 17 अक्टूबर, 2000 में सम्मिलित किया गया।

23. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है–

(a) याचिका (b) हलफनामा
(c) कथन (d) दस्तावेज

Jharkhand (CJ) 2015

उत्तर–(b)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में शपथ-पत्र (हलफनामा) साक्ष्य नहीं होता है। इसे साक्ष्य के रूप में काम में नहीं लाया जा सकता, जब तक कि न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को ऐसे शपथ-पत्र के द्वारा साबित किए जाने का आदेश न किया हो [Federal India Assurance Company Ltd. V. Anandrao (1944) Nag 436]। शपथ-पत्र का उपयोग साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता है। जब पर्याप्त कारणों से न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 19 के अंतर्गत एक आदेश पारित करे। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 साक्ष्य के रूप में हलफनामा को अनुमति देता है।

24. दस्तावेज है–

(a) उपहासांकन (व्यंग्य चित्र)
(b) मुद्रित, शिला-मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द
(c) मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख
(d) उपर्युक्त सभी

M.P. (C.J.) 2005 – 06, M.P. A.P.O. 1993, 1995

उत्तर–(d)

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार, 'दस्तावेज' से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरणार्थ– लेख मुद्रित, शिला-मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र या रेखांक, धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख तथा उपहासांकन। अतः उपरोक्त सभी 'दस्तावेज' हैं जबकि केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज नहीं होता है।

25. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक 'दस्तावेज' नहीं है?

(a) एक मानचित्र
(b) शिला मुद्रित शब्द
(c) शिला पर उत्कीर्ण लेख
(d) उत्कीर्ण लेखयुक्त धातु का एक टुकड़ा, जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया

U.P. H.J.S. (P-II) 2018, U.P H.J.S. (P-III) 2018

उत्तर–(d)

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

26. न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत 'दस्तावेजों' में शामिल है–

1. एक लिखित दस्तावेज
2. एक उपहासांकन
3. एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज
4. शिला पर उत्कीर्ण लेख

सही उत्तर चुनिए –

(a) 1 तथा 4 (b) 1, 2 तथा 4
(c) 1, 2, 3 तथा 4 (d) 1, 3 तथा 4

U.P. A.P.O. 2002

उत्तर–(c)

न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रयुक्त दस्तावेजों में सम्मिलित हैं– लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज (Electronic Document), शिला पर उत्कीर्ण लेख [अंतर्गत धारा 3 पैरा (5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम]।

27. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा प्रावधान करती है कि ''न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं''?

(a) धारा 4 (b) धारा 61

(c) धारा 91 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

U.P. A.P.O. 2018

उत्तर—(d)

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

28. उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया है कि ''सी.सी.टी.वी. कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है''?

(a) जसबीर सिंह बनाम तारा सिंह

(b) कर्नाटक राज्य बनाम चांद बाशा

(c) किरन चंदर असरी बनाम हरियाणा राज्य

(d) टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

Uttarakhand (CJ) 2015

उत्तर—(d)

जनवरी, 2015 में उच्चतम न्यायालय ने **टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के वाद में दिए निर्णय में यह अवधारित किया कि **''सी.सी.टी.वी.** कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है''।

29. निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी (FIR) ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?

(a) अनिल कुमार बनाम वी.एस. नीलकांत, ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 2715

(b) विजेता गजरा बनाम राज्य, ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 2712

(c) भारत संघ बनाम ए. कुमार, ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 2735

(d) सी. मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 2768

Jharkhand (CJ) 2018

उत्तर—(d)

सी. मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 2768 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राथमिकी ठोस सबूत (Substantive Piece of Evidence) नहीं है बल्कि **संपुष्टिकारक** है।

30. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में—

1. जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए।
2. परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए।
3. इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषिता के अनुरूप।
4. परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –

(a) 1 तथा 2 केवल (b) 1, 2 तथा 4 केवल

(c) 1, 2 तथा 3 केवल (d) 1, 2, 3 तथा 4

U.P. Lower Sub. 2004

उत्तर—(b)

साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत परिस्थितिजन्य साक्ष्य में (1) जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूर्णरूप से सिद्ध होना चाहिए, (2) परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए तथा (4) परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए। जबकि (3) इस प्रकार स्थापित (तथ्य) मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए तथा निर्दोषिता के अनुरूप परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में सही नहीं है। अतः सही कथन (1), (2) तथा (4) हैं जबकि कथन (3) गलत है।

31. In reference to circumstantial evidence :

1. The circumstances from which the conclusion is drawn, should be fully established.
2. The circumstances should be conclusive in nature.
3. All the facts so established should be consistent only with the hypothesis of guilt and innocence.
4. The circumstances should, to a moral certanity, exclude the possibility of guilt of any person other than the accused.

Select the correct answer using the codes given below.

Codes :

(a) 1 and 2 only (b) 1, 2 and 4 only

(c) 1, 2 and 3 only (d) 1, 2, 3 and 4

Bihar H.J.S. 2020

उत्तर—(b)

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

32. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है —

(a) मौखिक साक्ष्य का (b) दस्तावेजी साक्ष्य का

(c) द्वितीयक साक्ष्य का (d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य का

Uttarakhand (CJ) 2014, Chhattisgarh (CJ) 2020

उत्तर—(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की **धारा 59** मौखिक साक्ष्य, धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य तथा धारा 3 दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करता है जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं करता है।

33. गलत उत्तर बताइए। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है—

(a) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
(b) प्राथमिक एवं द्वितीयक (सहायक)
(c) मौखिक एवं दस्तावेजी
(d) प्रक्रियात्मक एवं साखान

U.P. Lower (Spl.) 2002

उत्तर—(d)

साक्ष्य (Evidence) प्रक्रियात्मक एवं साखान प्रकार का नहीं होता। अतः गलत उत्तर होने के कारण विकल्प (d) प्रश्नानुसार सही उत्तर है। साक्ष्य निम्नलिखित प्रकार का होता है—
(i) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
(ii) प्राथमिक तथा सहायक (द्वितीयक), एवं
(iii) मौखिक एवं दस्तावेजी।

34. ''अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है।'' न्यायालय ने यह कहा —

(a) पुष्पा देवी एम. जाटिया बनाम एम.एल. वाधवा
(b) हरप्रसाद बनाम शिवदयाल
(c) कल्पनाथ राय बनाम महाराष्ट्र राज्य
(d) रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य

U.P. A.P.O. 2011

उत्तर—(a)

पुष्पा देवी एम. जाटिया बनाम एम.एल. वाधवा, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि ''अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है।''

35. किस न्याय निर्णय में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में पांच स्वर्णिम सिद्धांत (पंचशील) प्रतिपादित किया गया है?

(a) उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध एम.के. एंथोनी
(b) रावशिव बहादुर सिंह विरुद्ध विंध्य प्रदेश राज्य
(c) शरद विरदीचंद शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य
(d) शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत संघ

M.P. H.J.S. 2017

उत्तर—(c)

शरद विरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 एस.सी. के वाद में उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में पांच स्वर्णिम सिद्धांत (पंचशील) प्रतिपादित किया।

36. आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (ए.आई.आर. 1973 सु.को. 157) किसकी ग्राह्यता से संबंधित है?

(a) टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य
(b) पुलिस से की गई संस्वीकृति
(c) विशेषज्ञ राय
(d) अनुश्रुत साक्ष्य

U.P. A.P.O. 2015, Uttarakhand A.P.O. 2010

उत्तर—(a)

आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 सु.को. 157 के वाद में टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य एवं रेस जेस्टे के रूप में सुसंगत घोषित किया गया है।

37. कोई भी तथ्य ''साबित नहीं हुआ'' कहा जाता है—

(a) जब वह नासाबित हुआ है।
(b) जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है।
(c) जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिसंभाव्य समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।
(d) जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित किया गया हो।

U.P. (CJ) 2006, 2016, M.P. (CJ) 2018

उत्तर—(d)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 निर्वचन खंड के अनुसार, ''कोई तथ्य 'साबित नहीं हुआ' (Not proved) कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और न नासाबित।'' कोई तथ्य नासाबित कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विषयों पर विचारोपरांत या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशेष मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अतः प्रश्न के विकल्प (b) एवं (c) 'नासाबित' का निर्वचन करते हैं और विकल्प (d) 'साबित नहीं हुआ' पद का प्रतिनिधित्व करता है।

38. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 'साबित नहीं हुआ है' का तात्पर्य है—

(a) साबित
(b) नासाबित
(c) न साबित न नासाबित
(d) अधिवक्ता के समक्ष नासाबित

U.P. A.P.O. 2018

उत्तर—(c)

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

39. जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं—

(a) साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।
(b) सुसंगत तथ्य नहीं है।
(c) सुसंगत तथ्य है।
(d) इनमें से कोई सही नहीं है।

M.P. A.D.P.O. 2015

उत्तर—(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के द्वारा कुछ परिभाषाएं प्रतिस्थापित की गईं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तथा प्रमाणकर्ता अधिकारी की परिभाषा भी शामिल है। इस परिभाषा के अनुसार, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किया है, सुसंगत तथ्य है।

40. Whenever it is provided in the Indian Evidence Act that the court may presume a fact.

(a) may call for proof of that fact.
(b) The court is bound to regard that fact as proved.
(c) The parties can presume that fact as proved.
(d) That fact is conclusive proof.

Bihar (CJ) 1999

उत्तर—(a)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 पैरा (1) के अनुसार, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की 'उपधारणा कर सकेगा' वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। अत: विकल्प (a) सही है।

41. जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को—

(a) साबित मानेगा यदि और जब तक यह नासाबित नहीं किया जाता है।
(b) साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग करेगा।
(c) साबित मानेगा।
(d) साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

U.P. A.P.O. 2005, 2007

उत्तर—(a)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 'उपधारणा करेगा' को परिभाषित करती है। धारा 4 के अनुसार न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है।

42. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित हैं—

(a) प्रिजम्पसियो ज्युरिस केवल
(b) प्रिजम्पसियो ह्यूमिनिस केवल
(c) उक्त दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Uttarakhand (CJ) 2009

उत्तर—(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ''विधि की उपधारणा'' एवं ''तथ्य की उपधारणा'' दोनों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें लैटिन भाषा में क्रमश: **''प्रिजम्पसियो जुरिस''** और **''प्रिजम्पसियो ह्यूमिनिस''** कहा जाता है। धारा 112 के अंतर्गत धर्मसत्व की उपधारणा विधिक उपधारणा का एक दृष्टांत है। धारा 107 के अंतर्गत उत्तरजीविता की उपधारणा तथ्य की उपधारणा का एक दृष्टांत है।

43. विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं?

(a) उपधारणा कर सकेगा में (b) उपधारणा करेगा में
(c) निश्चयात्मक सबूत में (d) उपरोक्त सभी में

Uttarakhand (CJ) 2016

उत्तर—(c)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 पैरा 3 निश्चायक सबूत की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार, जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। अत: विधि की अखंडनीय उपधारणा निश्चायक सबूत शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं।

44. Presumption under the law of evidence are :

(a) presumption of facts (b) presumptions of law
(c) both (a) and (b) (d) only (b) and not (a)

U.P. H.J.S. 2012

उत्तर—(c)

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

45. उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषिता की उपधारणा को बताया है, एक—

(a) मौलिक अधिकार (b) सांविधिक अधिकार
(c) मानव अधिकार (d) रूढ़िजन्य अधिकार

Jharkhand A.P.P. 2018

उत्तर—(c)

विधि की सार्वभौमिक मान्यता है कि व्यक्ति निर्दोष होता है, जब तक उसे संदेह से परे साबित न कर दिया जाए। मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसे मनुष्य के नाते अपरिहार्य माना गया है, इसलिए इसे मानव अधिकार कहा गया है।

46. 'ऑमेनिया प्रेसूमन्टर राइड इज एक्टा' सूक्ति का अर्थ है—

(a) सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना
(b) सभी तथ्यों का उचित अवधारित नहीं किया जाना
(c) सभी कार्यों को गलत माने जाना
(d) सभी कार्यों को गलत न माने जाना

Uttarakhand (CJ) 2008

उत्तर—(a)

सूक्ति ''ऑमेनिया प्रेसूमन्टर राइट इज एक्टा'' का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना।

भाग 3 - मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 1. इस कथन की व्याख्या करें कि सुसंगति एवं ग्राह्यता न तो समानार्थक है, न ही समविस्तीर्ण है और न ही एक-दूसरे में समाविष्ट हैं।

U.P. (CJ) 1976

अथवा

सुसंगतता एवं ग्राह्यता न तो एक ही अर्थ रखने वाला शब्द है और न ही परस्पर बदलने वाला शब्द है। व्याख्या करें।

Bihar (CJ) 1975

अथवा

जो सुसंगत है, वह आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं होता, किंतु जो ग्राह्य होता है, वह सुसंगत है समझाइए।

U.P. (CJ) 1992, 2003

अथवा

तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हैं? क्या सभी सुसंगत तथ्य न्यायालय में ग्राह्य है? समझाइए।

U.P. A.P.O. 2015

अथवा

साक्ष्य की सुसंगति एवं ग्राह्यता में अंतर स्पष्ट करें।

Bihar (CJ) 1985, U.P. (CJ) 1986

अथवा

सुसंगतता एवं ग्राह्यता न तो पर्यायवाची है और न ही एक-दूसरे में सम्मिलित हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

U.P. H.J.S. 2007, U.P. (CJ) 1992, 2000, 2003

उत्तर–

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 136** में **सुसंगत** एवं **ग्राह्य** दोनों पद पृथकतया प्रयुक्त हैं। दोनों पद न तो पर्यायवाची हैं, न सह-विस्तारी और न एक-दूसरे में समाविष्ट हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** में सुसंगत तथ्य के बारे में प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित, इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संयुक्त हो।

ज्ञातव्य है कि साक्ष्य अधिनियम में **धारा 6-55** तक में तथ्यों की **सुसंगतता** का विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। इसका आशय यह है कि किसी तथ्य का साक्ष्य में ग्राह्य होने के लिए आवश्यक है कि वह तथ्य विवाद्यक तथ्य से या उक्त सुसंगत तथ्यों में से किसी भी तथ्य से जुड़ा हुआ हो तथा यदि कोई तथ्य उक्त प्रकार से जुड़ा नहीं है, तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता।

स्पष्ट है कि ये धाराएं केवल सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करती हैं, परंतु तथ्य की सुसंगतता को नहीं। वस्तुतः सुसंगतता किसी तथ्य का वह गुण है, जो विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को स्पष्ट करता है अथवा संभाव्य बनाता है, अर्थात सुसंगतता किसी तथ्य की वह क्षमता है जो संबंधित तथ्य में किसी विवाद्यक तथ्य के द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता से युक्त कर देता है। इस शब्द को विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अपने-अपने तरीके से स्पष्ट किया है। जिसमें कुछ इस प्रकार हैं–

स्टीफेन के अनुसार, सुसंगत से तात्पर्य उस तथ्य से है, जो घटनाओं के सामान्य क्रम के अनुसार या तो अकेले या दूसरे तथ्य के साथ मिलकर अन्य तथ्य के भूत, वर्तमान अथवा भविष्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करता है या संभाव्य बनाता है।

तथ्यों की सुसंगतता एवं ग्राह्यता :

सुसंगति और ग्राह्यता के विषय में दो सिद्धांत हैं–

1. **प्रथम सिद्धांत** अभिकथित करता है कि सभी सुसंगत तथ्य आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं हैं, इसको साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 को निर्दिष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए–
   (i) **धारा 122**–वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई संसूचना यद्यपि वह अत्यधिक सुसंगत है, परंतु ग्राह्य नहीं है, क्योंकि इसको निषेधित किया गया है।
   (ii) **धारा 126**–अधिवक्ता से कक्षीकार द्वारा की गई संस्वीकृति यद्यपि सुसंगत है, परंतु वह न्यायालय में ग्राह्य नहीं है।
2. **दूसरा सिद्धांत** अभिकथित करता है कि समस्त तथ्य जो ग्राह्य हैं, उनका सुसंगत होना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 146-155 तक उन प्रश्नों के प्रारूपों के संबंध में कहा गया है, जो किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वे तथ्य यद्यपि किसी भी प्रकार से सुसंगत न हों तथा उनका संबंध विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार न भी हो जैसा धारा 6-55 तक में दिया गया है फिर भी वह उक्त धाराओं के अंतर्गत ग्राह्य घोषित किए गए हैं।

✓**राम बिहारी यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1998 एस.सी.** के वाद में न्यायालय ने साक्ष्य की सुसंगति और उसकी ग्राह्यता में अंतर को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने कहा कि बहुधा अभिव्यक्ति 'सुसंगति' और 'ग्राह्यता' का प्रयोग एक-दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है, परंतु उनके कानूनी भावों में अंतर होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे तथ्य जो सुसंगत हों, ग्राह्य न हों।✓

सुसंगति एवं ग्राह्यता में अंतर	
सुसंगति	**ग्राह्यता**
1. सुसंगति धारा 5-55 तक में वर्णित है।	1. ग्राह्यता धारा 56 के बाद वर्णित है, जैसे धारा 146-155 में।
2. सुसंगति का क्षेत्र विस्तृत है।	2. ग्राह्यता का क्षेत्र सीमित है।
3. सुसंगति तर्क एवं संभावना पर आधारित है।	3. ग्राह्यता तर्क पर आधारित न होकर कठोर विधि के नियमों पर आधारित है।
4. सुसंगति के नियम यह घोषित करते हैं कि क्या सुसंगत है।	4. ग्राह्यता सुसंगत तथ्यों को साबित करने का उपाय एवं तरीका है।
5. भारतीय साक्ष्य विधि में सुसंगति का अर्थ है - कौन से तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित किए जा सकते हैं।	5. ग्राह्यता के नियम यह घोषित करते हैं कि कब कुछ सुसंगत प्रकार के साक्ष्य ग्राह्य किए जाएं या अपवर्जित किए जाएं।
6. सुसंगति एक जाति है।	6. ग्राह्यता उपजाति है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें–

(क) तथ्य एवं विवाद्यक तथ्य

(ख) विवाद्यक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य

उत्तर–

(क) तथ्य एवं विवाद्यक तथ्य में अंतर :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन के लिए तथ्य का तात्पर्य–

1. किसी ऐसी वस्तु से, या
2. वस्तुओं की ऐसी अवस्था से, या
3. वस्तु के ऐसे संबंध से है

जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो सकती है। इसके अंतर्गत कोई ऐसी मानसिक दशा भी है, जिसका भान किसी व्यक्ति को है।

विवाद्यक तथ्य का तात्पर्य सामान्यतः ऐसे तथ्य से है, जो विवादग्रस्त हो गए हैं। जहां एक पक्षकार किसी कार्यवाही में किसी तथ्य का अभिकथन करता है और दूसरा पक्ष उस तथ्य की विद्यमानता को अस्वीकार करता है, वहां वह तथ्य विवाद्यक तथ्य कहलाता है।

तथ्य तथा विवाद्यक तथ्य में निम्नलिखित अंतर हैं–

तथ्य	**विवाद्यक तथ्य**
1. तथ्य एक ऐसी घटना है अथवा संयोग है, जिसकी वास्तविकता अनुभव से प्रकट होती है।	1. विवाद्यक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो विवादग्रस्त हो गए हैं।
2. तथ्य दो प्रकार के होते हैं भौतिक तथ्य एवं मानसिक तथ्य।	2. विवाद्यक तथ्य केवल मुख्य तथ्य होते हैं।
3. तथ्य में किसी अधिकार या दायित्व का होना आवश्यक नहीं है।	3. विवाद्यक तथ्य में कोई अधिकार, दायित्व व निर्योग्यता आवश्यक तत्व होता है।

(ख) विवाद्यक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य में अंतर :

सुसंगत तथ्य :

एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।

विवाद्यक तथ्य :

विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है, ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है।

सुसंगत तथ्य	**विवाद्यक तथ्य**
1. सुंसगत तथ्य स्वयं विवाद-ग्रस्त तथ्य नहीं होते हैं। ये ऐसे तथ्य होते हैं, जिनके आधार पर विवाद्यक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।	1. विवाद्यक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं, जिनके निर्णय पर वाद का निर्णय आधारित होता है।
2. सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होता है।	2. विवाद्यक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होता है।
3. सुसंगत तथ्य साक्ष्य कहलाते हैं।	3. विवाद्यक तथ्य मुख्य तथ्य कहलाते हैं।
4. यह परिस्थितियों के अनुकूल साक्ष्य है।	4. यह प्रत्यक्ष साक्ष्य है।

प्रश्न 3. परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य में अंतर स्पष्ट करें। क्या केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है?

U.P. (CJ) 1987, 2018, U.P. H.J.S. 1996

अथवा

परिस्थितिजन्य साक्ष्य कितना विश्वसनीय है? विवेचना करें।

U.P. A.P.O. 1994

अथवा

''साक्षी झूठ बोल सकता है, किंतु परिस्थितियां नहीं।'' इस सूत्र की विवेचना कीजिए।

उत्तर–

किसी तथ्य या विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के संबंध में साक्षियों के परिसाक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी विस्फोट के तथ्य को इस साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने उस धमाके को सुना है या किसी व्यक्ति ने उस धमाके को देखा है, तो सुने या देखे जाने वाले व्यक्ति का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य है, जिससे विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, गबन करने के बाद अभियुक्त का फरार हो जाना या हत्या के अभियोग में अभियुक्त व्यक्ति के पास से वह चाकू बरामद किया जाना, जिसके द्वारा हत्या की गई।

प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अंतर

प्रत्यक्ष साक्ष्य	परिस्थितिजन्य साक्ष्य
1. प्रत्यक्ष साक्ष्य विवादित घटना का प्रत्यक्ष निरूपण है।	1. परिस्थितिजन्य साक्ष्य उन परिस्थितियों का निरूपण होता है, जिनमें वास्तविक घटना घटित होती है।
2. प्रत्यक्ष साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य होता है।	2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की अपेक्षा उत्तम साक्ष्य होता है।
3. प्रत्यक्ष साक्ष्य का स्रोत साक्षी स्वयं होता है।	3. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का स्रोत घटना से संबंधित परिस्थितियां होती हैं।
4. प्रत्यक्ष साक्ष्य यदि संतोष-जनक है, तो उस पर दोष-सिद्धि आधारित हो सकती है।	4. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यक्ष साक्ष्य का अनुमान लगाया जाता है तथा इस आधार पर दोषसिद्धि आधारित करना असुरक्षित है।
5. प्रत्यक्ष साक्ष्य साक्षी ने स्वयं अनुभव किया होता है। अत: साक्षी के परीक्षण के माध्यम से ऐसे साक्ष्यों की सत्यता की जांच की जा सकती है।	5. परिस्थितिजन्य साक्ष्य में साक्ष्यों की सत्यता का मूल्यांकन परिस्थितियों पर लगाया गया उचित अनुमान है।
6. साक्ष्य देने वाला साक्षी झूठ बोल सकता है।	6. परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं।

क्या केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है?

जिन मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होकर केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही उपलब्ध हो, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि तभी विधिमान्य होगी, जबकि जिन परिस्थितियों में दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाए, वे निश्चायक हों और उनमें से किसी भी अनुमान के आधार पर ऐसा न प्रकट होता हो जो किसी भी दृष्टि से अभियुक्त की निर्दोषिता साबित करता हो।

✓**उमेद भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, 1978 एस.सी.** के वाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में उच्चतम न्यायालय यह विचार प्रकट किया है–यह बात पूर्ण रूप से स्थापित है कि जब कोई मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर हो, तो यह आवश्यक है कि जो भी परिस्थितियां अभियोजन सामने लाया है उसकी दिशा एक मात्ररूप से अभियुक्त को दोषी साबित करने की ओर होनी चाहिए और कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, जो अभियुक्त के दोषी होने से मेल न खाती हो। परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर होने वाले मामले में भी न्यायालय को कुल परिस्थितियों का प्रभाव देखना होता है। परिस्थितियों की जंजीर की एक भी कड़ी टूट जाने पर अभियोजन की सारी बात नष्ट हो सकती है।✓

✓**हरदयाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1976 एस.सी.** के वाद में अभियुक्त पर बाल हत्या का आरोप था और उसकी दोषसिद्धि हुई थी। हत्या के समय कोई भी स्वयं देखने वाला गवाह नहीं था, परंतु परिस्थितियों की जंजीर इतनी संपूर्ण थी कि उससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता था कि अभियुक्त के अलावा यह किसी और का कार्य नहीं था।✓ अभियुक्त अपनी बीबी को पीटता था और इसलिए वह अपने मायके चली गई थी। अभियुक्त ने उसे वापस लाने का बहुत प्रयास किया और साले तथा ससुर के साथ कई चालें खेल कर उसे ले जाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं गई। एक बार वह वहां से निकलते हुए उसने लोगों से कहा कि वह सबको देख लेगा। कुछ दिन बाद वह अपने साले के 10 वर्षीय बालक को ले जाते हुए देखा गया। जब अभियुक्त पकड़ा गया और उससे बच्चे के बारे में पूछा गया तो उसने माना कि बच्चा उसके पास है और वह उसको वापस कर देगा, इस बहाने वह गायब हो गया। बच्चे का शव कुएं में मिला। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदण्ड को कायम रहने दिया।

✓**स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम वेद प्रकाश 1994 एस.सी.** के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह विधि के कथित सिद्धांतों में से एक है कि साक्षी झूठ बोल सकता है, किंतु परिस्थितियां नहीं।✓

✓**कैलाश बनाम उ.प्र. राज्य 1994 एस.सी.** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्धि करने के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं–✓

1. जिन परिस्थितियों का निष्कर्ष निकाला जाए उनको पूर्णतया साबित कर दिया जाना चाहिए।
2. परिस्थितियों को निश्चायक प्रकृति का होना चाहिए।
3. इस प्रकार से स्थापित किए गए तथ्यों को दोष की परिकल्पना के संगत तथा निर्दोषिता से असंगत होना चाहिए।

✓**गुलजाक अली बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1998 एस.सी.** के वाद में निर्णीत किया गया कि दोषसिद्धि हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्रमबद्ध एवं विश्वसनीय हो तथा उनका क्रम अव्यवस्थित न हो।✓

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए–

(क) तथ्य

U.P. A.P.O. 2006

(ख) दस्तावेज

Bihar (CJ) 1980, 1984, U.P. A.P.O. 2007

(ग) खोजी कुत्ते का साक्ष्यिक मूल्य

U.P. H.J.S. 2007

उत्तर–(क) तथ्य (Fact) :

साक्ष्य विधि में तथ्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है; क्योंकि समस्त अधिकार एवं दायित्व तथ्यों पर आश्रित होते हैं तथा उन्हीं से उद्‌भूत होते हैं। **पेटन** के अनुसार, ''तथ्य कच्चा पदार्थ है, जिसके आधार पर विधि निश्चित अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन करती है।''

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** में 'तथ्य' शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है–

1. कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है; तथा
2. कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

दृष्टांत :

(क) यह कि अमुख स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है।

(ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह एक तथ्य है।

(ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है।

(घ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्‌भावनापूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है।

(ङ) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है।

मोटे तौर पर 'तथ्य' से अभिप्रेत उस 'बात' से है, जो बोध एवं भाव का विषय हो। सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री **बेंथम** ने तथ्यों को शारीरिक एवं मानसिक दो वर्गों में बांटा है। इस वर्गीकरण को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपनाया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार 'तथ्य' के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं–

1. भौतिक तथ्य या शारीरिक तथ्य; अर्थात प्रत्येक वस्तु, वस्तुओं की अवस्था (दशा), वस्तुओं का संबंध, जो इंद्रियों (आंख, नाक, कान, जीभ या त्वचा) द्वारा बोधगम्य हो यानी मालूम हो सके।
2. मानसिक तथ्य; अर्थात मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो; अर्थात कोई ऐसी मनोवृत्ति, जिसको कोई व्यक्ति जानता हो।

संक्षिप्त में 'तथ्य' से तात्पर्य ऐसी वस्तु या मानसिक दशा से है, जो अस्तित्व में है।

(ख) दस्तावेज (Document) :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** में **'दस्तावेज'** शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, ''दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है, जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से किसी एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के **अभिलेख (Record)** के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

दृष्टांत

(क) लेख (Writing) एक दस्तावेज है।

(ख) मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है।

(ग) मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है।

(घ) किसी धातु की चादर या शिला (पत्थर) पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है।

(ङ) उपहांसकन या व्यंग्य चित्र (Caricature) एक दस्तावेज है।

दस्तावेज के लिए निम्न दो बातें आवश्यक हैं–

प्रथम : किसी विषय को किसी पदार्थ पर शब्दों, अक्षरों या चिह्नों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो तथा

द्वितीय : ऐसे विषय को अभिलेख के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने का आशय हो।

(ग) खोजी कुत्ते का साक्ष्यिक मूल्य :

खोजी कुत्ते का साक्ष्य यद्यपि ग्राह्य होता है; किंतु आमतौर पर

वह अधिक वजन का नहीं होता है।

✓**भद्रन बनाम स्टेट ऑफ केरल (1955) क्रि. लॉ. ज. 676 (केरल)** के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खोजी कुत्तों की गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य ग्राह्य है; क्योंकि इसकी विश्वसनीयता उन व्यक्तियों के परिसाक्ष्य की ग्राह्यता पर निर्भर करती है, जिन्होंने कुत्ते को साधा हो और उनके, जिन्होंने उसकी गतिविधियों एवं आचरण को देखा हो।✓

बाबू मकबूल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (1993) के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि खोजी कुत्ते के साक्ष्य को भी संवीक्षा एवं विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए जैसा कि अन्य साक्ष्य के मामले में होता है।

हत्या के एक मामले में घटना स्थल के निकट चप्पल और चाकू पाए गए थे। दोनों वस्तुओं को मूल गंध सुरक्षित रखने के लिए कागज में लपेट दिया गया और चौबीस घंटे के अंदर शिनाख्त परेड कराई गई। चाकू और चप्पल को सूंघने के वाद खोजी कुत्ते ने परेड के लोगों में से दोनों अभियुक्तों को तुरंत पकड़ लिया। यह अभिनिर्धारित हुआ कि कुत्ते द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य उन दोनों वस्तुओं को अभियुक्त से संबद्ध करने के लिए पर्याप्त था।

प्रश्न 5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत शब्द 'न्यायालय' से आप क्या समझते हैं। निर्णीत वादों की सहायता से विवचेना कीजिए।

U.P. (CJ) 2018

उत्तर—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की **धारा 3** में **'न्यायालय'** शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, ''न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।'' अतः न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा ऐसे अन्य सभी व्यक्ति, जिनको शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार है, आते हैं; किंतु मध्यस्थ न्यायालय में शामिल नहीं है।

✓**मुन्ना लाल बनाम उ.प्र. राज्य (1991)** के वाद में कुटुंब न्यायालय (Family Courts) को इस अर्थ में न्यायालय माना गया।✓

विभिन्न वादों में निम्नलिखित को न्यायालय माना गया है—

1. जूरी, जो न्यायाधीशों के साथ साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत होते हैं,
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण,
3. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 नियम 17(1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 284-289 के अधीन नियुक्त कमिश्नर,
4. मद्रास वन अधिनियम, 1882 की धारा 59 के अधीन वन अधिकारी,
5. लोकायुक्त [राजेंद्र मनु भाई बनाम गुजरात राज्य (1992)] आदि।

विभिन्न वादों में निम्नलिखित को 'न्यायालय' नहीं माना गया है—

1. उ.प्र. नगरपालिका अधिनियम की धारा 160 के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला जिला मजिस्ट्रेट,
2. आयकर अधिकारी,
3. लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के अधीन नियुक्त कमिश्नर,
4. राजस्थान अधिनियम, 1952 के अधीन जागीर कमिश्नर आदि।

प्रश्न 6. सुसंगत तथ्य से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताएं।

U.P. A.P.O. 1996

अथवा

विवाद्यक तथ्य से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए।

U.P. (CJ) 1984, 2000, Raj. (JS) 1984

अथवा

विवाद्यक तथ्य पर टिप्पणी लिखें।

Bihar (CJ) 2019

अथवा

तथ्य को कैसे सिद्ध किया जा सकता है?

U.P. A.P.O. 2011

उत्तर—सुसंगत तथ्य (Relevant Fact) :

साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** के अनुसार, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संशक्त हो। साक्ष्य अधिनियम की **धारा 6-55** तक तथ्यों की सुसंगति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है।

उदाहरण : धारा 6 के तहत, एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। इसके अनुसार, जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संशक्त हैं, कि वे एक ही संव्यवहार के भाग गठित करते हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे एक ही समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।

विवाद्यक तथ्य (Facts in Issue) :

साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में विवाद्यक तथ्य को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है—

कोई भी ऐसा तथ्य, जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता की, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व

प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य होती है।

दृष्टांत

'ख' की हत्या का 'क' अभियुक्त है। उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्यक हो सकते हैं–

1. यह कि 'क' ने 'ख' की मृत्यु कारित की,
2. यह कि क्या 'क' का आशय 'ख' की मृत्यु कारित करने का था,
3. यह कि 'क' को 'ख' से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था,
4. यह कि 'ख' की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय 'क' चित्तविकृति के कारण, उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था।

स्पष्टीकरण : जब कभी कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है, वह विवाद्यक तथ्य है।

इस प्रकार विवाद्यक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं, जिन पर पक्षकारों के मध्य विवाद होता है और जिसके आधार पर ही वाद का निर्णय आधारित होता है। अतः विवाद्यक तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होता है। विवाद्यक तथ्यों का अस्तित्व या अनस्तित्व सिद्ध हो जाने पर पक्षकारों के अधिकारों या दायित्वों का जन्म होता है।

उदाहरण-1. 'क' ने 'ख' के विरुद्ध किसी प्रोनोट के आधार पर दावा दायर किया और यह अभिकथित किया कि वह 'ख' के द्वारा निष्पादित किया गया था। 'ख' उस प्रोनोट के निष्पादन से इंकार करता है।

यहां विवाद्यक तथ्य यह है, कि क्या 'क' द्वारा पेश किया गया प्रोनोट 'ख' द्वारा निष्पादित किया गया है?

2. 'क' 'ख' के विरुद्ध संविदा भंग का दावा दायर करता है। 'ख' संविदा भंग करने से इंकार करता है।

यहां विवाद्यक तथ्य यह है, कि क्या 'ख' ने संविदा भंग किया है?

आपराधिक मामलों में विवाद्यक तथ्य उन तथ्यों का द्योतक होता है, जिनको अभियोजन को अपने पक्ष में निर्णय के लिए साबित करना जरूरी होता है; अर्थात आपराधिक मामलों में आरोप ही विवाद्यक तथ्य को गठित करता है।

प्रश्न 7. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए–

(क) साक्ष्य एवं सबूत

(ख) नासाबित हुआ एवं साबित नहीं हुआ

U.P. A.P.O. 1996

उत्तर–(क) साक्ष्य एवं सबूत :

'साक्ष्य' शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है, जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। कोई भी ऐसी बात या वस्तु जो किसी प्रश्न को न्यायालय के सामने स्पष्ट कर सके, वह साक्ष्य है।

साक्ष्य और सबूत दोनों पर्यायवाची नहीं हैं। 'सबूत' साक्ष्य का प्रभाव है, जबकि 'साक्ष्य' साधन है। साक्ष्य वह साधन है, जिसके द्वारा कोई तथ्य साबित किया जाता है, जबकि सबूत 'साक्ष्य' का प्रभाव या परिणाम या फल है।

साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** में **'साक्ष्य'** शब्द को परिभाषित किया गया है। 'सबूत' शब्द साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है।

धारा 3 के अनुसार, 'साक्ष्य' शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं–

1. वे सभी कथन, जिनको जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।
2. न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं। ऐसी दस्तावेजें 'दस्तावेजी साक्ष्य' कहलाती हैं।

साक्ष्य और सबूत में अंतर	
साक्ष्य	**सबूत**
1. साक्ष्य साधन है।	1. सबूत साक्ष्य का साध्य है।
2. साक्ष्य सबूत का एकमात्र साधन है।	2. सबूत साक्ष्य का परिणाम है।
3. साक्ष्य कारण है।	3. सबूत उस कारण का प्रभाव है।
4. साक्ष्य वह वस्तु है, जिस पर सबूत की नींव आधारित है।	4. सबूत भवन है तो साक्ष्य उस भवन की नींव है।
5. साक्ष्य के द्वारा सबूत का निर्माण होता है।	5. सबूत का निर्माण साक्ष्य पर आधारित है।

(ख) नासाबित हुआ एवं साबित नहीं हुआ :

साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है, कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है, कि उस मामले की परिस्थितियों में किसी भी प्रज्ञावान व्यक्ति के इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

धारा 3 के अनुसार, ''कोई तथ्य साबित नहीं हुआ'' कहा जाता है, जबकि वह तथ्य न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

अत: जब न्यायालय किसी तथ्य के साबित न होने का निर्णय दे, तो वह तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है तथा जब न्यायालय किसी तथ्य के बारे में न तो साबित होना स्वीकार करे और न ही नासाबित होना, तो वह तथ्य 'साबित नहीं हुआ' कहा जाता है।

प्रश्न 8. उपधारणा की परिभाषा दीजिए एवं इसके भिन्न वर्गीकरण का वर्णन कीजिए।

अथवा

निश्चायक उपधारणा एवं खण्डनीय उपधारणा से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।

U.P. A.P.O. 2007, U.P. (CJ) 1970, 1999

अथवा

उपधारणा का अर्थ एवं उपयोगिता की विवेचना कीजिए, खण्डनीय एवं अखण्डनीय उपधारणा में भेद कीजिए।

Raj. (JS) 1969, U.P. (CJ) 1986, 2003, 2018, U.P. A.P.O. 2015

अथवा

''न्यायालय उपधारणा कर सकता है'' तथा ''न्यायालय उपधारणा करेगा'' इन शब्द बंधों को स्पष्ट करें तथा उदाहरण दें।

Raj. (JS) 1999

उत्तर—उपधारणा :

साक्ष्य विधि के अंतर्गत उपधारणा का तात्पर्य प्रश्नगत किसी तथ्य की सफलता के संबंध में कोई ऐसा निष्कर्ष, निर्णय, अनुमान या अनुचिंतन है, जो कि किसी अन्य ऐसे तथ्य से निकाला गया है, जिसका न्यायिक प्रज्ञान प्राप्त हुआ है अथवा जिसे सत्य मानकर स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार उपधारणा करने का अर्थ है किसी तथ्य को साबित होना स्वीकार कर लेना जब तक कि उसके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध न हो जाए।

उपधारणाओं का वर्गीकरण :

उपधारणाएं तीन प्रकार की होती हैं–

1. तथ्य की उपधारणा,
2. विधि की उपधारणा,
3. तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा।

तथ्य की उपधारणा :

तथ्य की उपधारणा को **प्राकृतिक** उपधारणा कहते हैं। इनको उन अनुमानों की संज्ञा प्रदान की जाती है, जो स्वभाविक रूप से तर्क के आधार पर, प्रकृति क्रम के अनुभव, मानव मस्तिष्क की रचना एवं आदतों से तथा विधिक निर्देशों या नियमों की सहायता के बिना निकाले जा सकते हैं।

विधि की उपधारणा :

विधि उपधारणा को **कृत्रिम** या **अस्वभाविक** उपधारणा की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। इस तरह की उपधारणा विधि किसी विशेष तथ्य से निकालने के लिए न्यायालय को अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट करती है। विधि की उपधारणाएं दो प्रकार की होती हैं–

विधि की खण्डनीय उपधारणा :

खण्डनीय उपधारणा ऐसे निष्कर्ष हैं, जिन्हें न्यायालय निकालने के लिए बाध्य है, जब तक कि उसके विरुद्ध साक्ष्य द्वारा उसे नासाबित नहीं किया जाता है। ऐसी उपधारणाओं का प्रभाव यह होता है कि जिस पक्षकार के पक्ष में किसी तथ्य को साबित होने के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वह प्रमाण भार से बरी हो जाता है और उसे नासाबित करने का भार विपक्षी पर चला जाता है। इस प्रकार की उपधारणा तब की जाती है जब किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है।

खण्डनीय उपधारणाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 4** में प्रयुक्त शब्द उपधारणा करेगा के अंतर्गत आती है।

उपधारणा करेगा :

जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 79-85 तथा 89 में इसका प्रावधान किया गया है।

प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा (धारा 79) मुख्तार नामे के बारे में उपधारणा (धारा 85) पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा (धारा 89)।

अखण्डनीय उपधारणा :

अखण्डनीय उपधारणाओं का अर्थ है कि जिसका खण्डन नहीं किया जा सकता है या जो निश्चायक प्रमाण है। ये ऐसे अनुमान हैं जो कि निश्चायक, निर्णायक और निर्विवाद प्रमाण के समान हैं। ये कानून के वे निर्विवाद नियम होते हैं, जो किसी विपरीत साक्ष्य द्वारा अन्यथा सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। अखण्डनीय विधि उपधारणाएं निश्चायक विधि उपधारणा भी कहलाती हैं, जो कि धारा 4 के अंतर्गत निश्चायक सबूत के रूप में निर्दिष्ट की गई हैं।

निश्चायक सबूत (धारा 4) :

जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

अखण्डनीय अवधारणा साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में उपबंधित किया गया है–

1. प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति (धारा 41)।
2. विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है (धारा 112)।
3. राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत (धारा 113) आदि।

तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा :

ये ऐसी उपधारणाएं हैं जिनकी स्थिति तथ्य की उपधारणा एवं विधि की उपधारणा के मध्य होती है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** में ऐसी **मिश्रित उपधारणाओं** का उल्लेख **नहीं** किया गया है।

प्रश्न 9. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—

(क) साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ

U.P. A.P.O. 1996, 1997

(ख) उपधारणा कर सकेगा

उपधारणा करेगा

निश्चायक सबूत

Bihar (CJ) 1977, 1978, U.P. H.J.S. 1984

उत्तर—(क) साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ

साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ पदों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की **धारा 3** में परिभाषित किया गया है। ये उपबंध किसी तथ्य को साबित करने के लिए या न्यायाधीश को उसके अस्तित्व में विश्वास दिलाने के लिए कितना सबूत देना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। सिविल और दाण्डिक मामलों में सबूत का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। सिविल मामलों में किसी तथ्य को साबित हुआ मान लिया जाता है, यदि साक्ष्य से यह दर्शित होता है, कि उसका होना संभावित था; परंतु दाण्डिक मामलों में किसी तथ्य को साबित हुआ तब तक नहीं माना जाता है, जब तक कि वह तथ्य युक्तियुक्त संदेह के परे न साबित हो जाए। कोई तथ्य साबित हुआ या नहीं इसका निर्णय न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिससे कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसमें प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि वह तथ्य साबित हुआ या नहीं।

साबित (Proved) :

साबित से तात्पर्य किसी तथ्य के सिद्ध या प्रमाणित होने से है। साक्ष्य अधिनियम की **धारा 3** में 'साबित' शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, ''कोई तथ्य 'साबित हुआ' कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है।''

अतः कोई तथ्य उस समय 'साबित हुआ' मान लिया जाता है, जबकि न्यायालय अपने सक्षम प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात या तो—

1. यह विश्वास कर लेता है, कि उस तथ्य का अस्तित्व है या
2. उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है, कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति; अर्थात साधारण समझ वाला व्यक्ति उस मामले में यही मानेगा की उस तथ्य का अस्तित्व है।

प्रज्ञावान व्यक्ति (Prudent man) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो व्यावहारिक बातों में विवेकपूर्ण या समझदार होता है। अतः यहां एक साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को प्रज्ञावान व्यक्ति कहा गया है।

नासाबित (Disproved) :

नासाबित, साबित का ठीक विपरीत अर्थ रखता है। इसे भी धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, ''कोई तथ्य 'नासाबित हुआ' कहा जाता है, जबकि न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।''

इस प्रकार कोई तथ्य निम्न दो परिस्थितियों में नासाबित हुआ कहा जाता है, जबकि न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो—

1. इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या
2. उसके अस्तित्व में न होने को इतना अधिक संभाव्य मानता है, कि उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को यह अनुमान करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

उदाहरण : यदि किसी अपराधी का डकैती के मामले में चालान किया जाए और वह अपनी सफाई में यह सिद्ध कर दे कि जिस दिन डकैती पड़ना कहा जा रहा है, उस दिन वह जेल में बंद था, तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता है, कि उसने डकैती में भाग लिया। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि डकैती का आरोप नासाबित हो गया और अपराधी को बरी कर दिया जाएगा।

साबित नहीं हुआ (Not proved) :

'साबित नहीं हुआ' साबित और नासाबित के बीच की मानसिक स्थिति है। इसे भी धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, ''कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जबकि वह न तो साबित किया गया है और न नासाबित।''

यह किसी तथ्य के साबित होने या नासाबित होने दोनों से इंकार करता है। अतः जब किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह निश्चित रूप न कहा जा सके कि उससे 'कोई तथ्य' साबित हुआ या नासाबित, तो इसे 'साबित नहीं हुआ' कहा जाता है।

जैसे–कत्ल के मुकदमे में चार गवाह हों और चारों अभियुक्त से मिल जाएं (पक्षद्रोही हो जाएं) तो अभियुक्त का दोष न तो साबित हुआ और न नासाबित। अतः इसे 'साबित नहीं हुआ' कहा जाएगा और अभियुक्त को रिहा कर दिया जाएगा।

✓**भगवान पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1974 एस.सी.** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब सत्य और असत्य तथ्य एक-दूसरे से इस प्रकार मिले हों कि उन्हें पृथक न किया जा सके, तो तथ्य साबित हुआ नहीं माना जाता है।✓

✓**कृष्णा गोपाल बनाम यू.पी. राज्य, 1988 एस.सी.** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'नासाबित' और 'साबित नहीं हुआ' को मापने के लिए कोई **निर्धारित स्तर (fixed standard)** नहीं है और यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।✓

(ख) उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत

उपधारणा एक तथ्य के अस्तित्व का अनुमान है, जो किन्हीं अन्य जाने हुए या साबित किए तथ्यों से निकाला जाता है। **रसेल** के अनुसार, ''जब हम किसी तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेते हैं, तो उसे उपधारणा करना कहते हैं।'' जैसे–यदि हम किसी स्थान पर धुआं निकलता हुआ देखते हैं, तो तुरंत यह अनुमान कर लेते हैं, कि वहां आग लग गई है।

उपधारणा से तात्पर्य विधि के इस नियम से है, कि न्यायालय किसी विशिष्ट तथ्य या विशिष्ट साक्ष्य से एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालेंगे, जब तक कि ऐसे निष्कर्ष की सच्चाई नासाबित नहीं हो जाती है। उपधारणा का प्रभाव यह होता है, कि जिस पक्षकार के पक्ष में उपधारणा की जाती है, वह उस तथ्य को साबित करने के भार से बच जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 4** में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें निम्न तीन प्रकार की उपधारणा का अधिकार न्यायालय को दिया गया है–

1. उपधारणा कर सकेगा (May Presume)
2. उपधारणा करेगा (Shall Presume) तथा
3. निश्चायक सबूत (Conclusive Proof)

उपधारणा कर सकेगा (May Presume) :

जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को या तो साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

अतः 'उपधारणा कर सकेगा' के अंतर्गत न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके तहत, न्यायालय को किसी तथ्य का अनुमान करने अथवा न करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। इसके तहत, न्यायालय को निम्न दो विकल्प प्राप्त होते हैं–

1. या तो वह ऐसे तथ्य को सिद्ध हुआ मान ले, जब तक कि उसे असिद्ध (नासाबित) न कर दिया जाए, या
2. ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए सबूत की मांग कर सकता है।

इसे तथ्य की उपधारणा को प्राकृतिक या स्वाभाविक उपधारणा भी कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे **प्रिजम्टियो होमिनिस** कहा जाता है। तथ्य की उपधारणाएं ऐसे अनुमान हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के क्रम के निरीक्षण और मानवीय मस्तिष्क की रचना से निकाले जाते हैं। **कनिंघम** के अनुसार, ऐसे निष्कर्ष किसी विधि के आधार पर नहीं; वरन् स्वतः तार्किक शक्ति के प्रवर्तन से निकाले जाते हैं, विधि केवल उनके निष्कर्षित करने को औचित्य प्रदान करती है। तथ्य की उपधारणा का वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 86, 87, 88, 90, 90-A, 114 तथा 113-A आदि में किया गया है। यह उपधारणा खण्डनीय होती है।

उपधारणा करेगा (Shall Presume) :

साक्ष्य अधिनियम की **धारा 4** का **खण्ड 2** और **खण्ड 3** विधि की उपधारणा के बारे में है। **विधि** की **उपधारणा बाध्यकारी** होती है। इसमें न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है। इस उपधारणा में न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। विधि की उपधारणा दो प्रकार की है खण्डनीय उपधारणा तथा अखण्डनीय उपधारणा होती है।

धारा 4 का खण्ड 2 'उपधारणा करेगा' के बारे में है। इसके अनुसार, ''जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा, जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता है।''

यह विधि की खण्डनीय उपधारणा है। इसमे न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है; किंतु उसे नासाबित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है और उपधारणा के नासाबित हो जाने पर वह खण्डित हो जाती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 79-85 तथा धारा 89 में इस उपधारणा का प्रावधान किया गया है।

उदाहरण–साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 के अनुसार, मुख्तारनामा जो किसी नोटरी पब्लिक न्यायालय का न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित हो, के बारे मे उपधारणा की जाती है कि वह सही रूप में निष्पादित तथा अधिप्रमाणीकृत है किंतु इस उपधारणा को साक्ष्य देकर खण्डित किया जा सकता है।

निश्चायक सबूत (Conclusive Proof) :

यह विधि की अखण्डनीय उपधारणा है। साक्ष्य अधिनियम की **धारा 4** के **खण्ड 3** में **निश्चायक सबूत** या **निश्चायक उपधारणा** का प्रावधान है। इसके अनुसार, ''जहां कि इस अधिनिमय द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।''

यह विधि की निश्चायक उपधारणा है। इसमें एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य को निश्चायक रूप से साबित माना जाता है और उसे नासाबित करने की किसी प्रकार का साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41, 112 तथा 113 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है।

उदाहरण–साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 निश्चायक सबूत के बारे में है। इसके अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के मध्य वैध विवाह के जारी रहते हुए या विवाह के विघटन के बाद; किंतु माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ है, तो यह इस बात का निश्चायक सबूत है, कि वह व्यक्ति उस पुरुष का धर्मज या वैध संतान है।

प्रश्न 10. उपधारणा के अर्थ एवं उपयोगिता की विवेचना कीजिए। विधि की खण्डनीय उपधारणा तथा अखण्डनीय उपधारणा में भेद कीजिए।

U.P. (CJ) 2018

उत्तर–

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। **रसेल** महोदय के अनुसार, किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान कर लेना ही उपधारणा कहलाता है। साधारण अर्थ में उपधारणा का शाब्दिक अर्थ होता है– बिना जांच या सबूत के सत्य मान लेना। यह एक प्रकार का अनुमान है, जो विपरीत साक्ष्य के अभाव में किया जाता है। इस प्रकार किसी तथ्य के अस्तित्व को मान लेना उपधारणा कहलाता है।

साक्ष्य विधि में, किसी स्थिति में प्रमाण के बिना भी किसी विशेष तथ्य की उपधारणा की जा सकती है। उपधारणा वाद सबूत के भार को एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर अंतरित करती है। विधि की उपधारणा एक निष्कर्ष है, जो स्थापित विधि एवं तर्क के साथ एक विशेष नियम पर आधारित है। यह विधि का एक नियम है, जो न्यायालय को किसी तथ्य को सत्य मानने की इजाजत देता है, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई शक्तिशाली सबूत न प्रस्तुत किया जाए।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में उपधारणा के बारे में प्रावधान किया गया है। उपधारणा दो प्रकार की होती है–(1) तथ्य की उपधारणा, (2) विधि की उपधारणा। विधि की उपधारणा को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है–(1) विधि की खंडनीय उपधारणा एवं (2) विधि की अखंडनीय उपधारणा।

विधि की उपधारणा :

विधि की उपधारणा को **अस्वाभाविक उपधारणा** या **कृत्रिम उपधारणा** भी कहा जाता है। ये ऐसे अनुमान होते हैं, जिन्हें विधि किन्हीं खास तथ्यों से निकालने के लिए न्यायाधीश को अभिव्यक्त रूप से निदेशित करती है। ये उपधारणा विधि का ऐसा नियम है, जिनके अंतर्गत न्यायालय किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष अनुमान लगाते हैं। विधि की उपधारणा विधिशास्त्र की एक निश्चित शाखा है। ये उपधारणाएं सदैव आबद्धकर होती हैं।

विधि की उपधारणाएं दो प्रकार की होती हैं–(1) खंडनीय उपधारणा, (2) अखण्डनीय उपधारणा।

खंडनीय उपधारणा :

जब विधि की उपधारणा खंडन योग्य होती है, तो उन्हें खंडनीय उपधारणा कहा जाता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में 'उपधारणा करेगा' अभिव्यक्ति से दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत की गई उपधारणा तभी तक मान्य होती है, जब तक उन्हें प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है। साक्ष्य अधिनियम में इससे संबंधित प्रावधान धारा 79, 80, 81, 81A, 83, 84, 85, 85A, 85B, 85C, 89, 105, 107, 108, 111A, 113B, तथा 114A में दिया गया है।

अखंडनीय उपधारणा :

विधि की अखंडनीय उपधारणा वह है, जो खंडन योग्य नहीं होती है। यह उपधारणा निश्चायक होती है। ये विधि का निर्विवाद नियम है और इसका खंडन किसी प्रबल साक्ष्य से भी नहीं किया जा सकता, जहां विधि द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय इसके खंडन में साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा किसी भी परिस्थिति में नहीं दे सकता है, ये अनुमान अकाट्य होते हैं। यह उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के 'निश्चायक सबूत' खंड के अंतर्गत आती है। इनका वर्णन साक्ष्य अधिनियम की धारा 41, 112 एवं 113 में किया गया है।

सम-सामयिक
घटना चक्र

घटना चक्र

Android App

DOWNLOAD

GET IT ON Google Play

या

https://shop.ssgcp.com

पर ऑनलाइन आर्डर भेजें अथवा अपने नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से प्राप्त करें